राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4514/2022

अनिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी, सीएचसी, बगड़, जिला झुंझुनू।
4. सुमन फोगाट, एएनएम सीएचसी बगड़, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर, सीएचसी बगड़, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेंद्र, जुनेजा मेहर की बस्ती, बाड़मेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है जो कि वर्तमान पदस्थापन स्थान से 700 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 01.11.2019 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया और तब से वह बगड़ जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी का वेतन भी बगड सीएचसी से लिया जाता है। अपीलार्थी का अभिकथन है अपीलार्थी निम्नतम संवर्ग पद पर कार्य कर रहा है परंतु अधिशेष की आड़ में वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्तियों की कोई सूची तैयार किए बिना अपीलार्थी को बिना किसी कारण के अधिशेष घोषित कर दिया गया है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा

किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को एएनएम के पद पर, सीएचसी बगड़, जिला झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एएनएम के पद पर, सीएचसी बगड़, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है अपीलार्थी का पद ए.एन.एम. है परंतु पत्रावली में उपलब्ध आदेश 07.11.2019 (अनुलग्नक–3) में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड एल.एच.वी. (LHV) के पद के विरूद्ध किया जाता है इस प्रकार अपीलार्थी की स्थिति स्वमेव ही अधिशेष की हो जाती है प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 700 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य